न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या : – 110/2019

उनवान

गोपाल पुत्र हंगामा जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
––वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम्

1. रतन पुत्र छगना जाति जाट निवसी ग्राम देराठू, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, नसीराबाद।

–––प्रतिवादीगण :– 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :–   दिनांक :– 5.8.24

वादी द्वारा उक्त प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नमबर 8243/2462 रकबा 0.08 की आराजी वादी की खातेदारी काश्तकारी की है। आराजी मुतनाजा पर वादी फसल काश्त कर अपने परिवार का पालना पोषण करता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी पर पिछले 1 वर्ष से जबरन अवैध कब्जा कर रखा है। वादी द्वारा प्रतिवादी को कब्जा छोडने का निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा एक माह में कब्जा छोडने का आश्वासन दिया। किन्तु प्रतिवादी द्वारा आराजी मुतनाजा पर बलपूर्वक फसल काश्त कर दी है। तथा कब्जा छोडने से इंकार कर दिया है। अतः आराजी मुतनाजा से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।
प्रकरण का खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।
बहस उभयपक्ष सनुी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 8243/2462 रकबा 0.08 की आराजी वादी की एकल खातेदारी में दर्ज है। प्रतिव[illegible] आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। पत्रावली में वाद के तथ्यों का कोई खण्डन [illegible]स कारण प्रतिवादी द्वारा अतिकमण किया जाना ही सिद्ध होता [illegible] भूमि पर बहेसियत [illegible] किया जाना न्यायोचित प्रतित अतिकमी सिद्ध होते है। जिससे प्रतिवा[illegible] 1 को बे[illegible] होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद **"स्वीकार"** किया जाकर ग्राम देराठू स्थित आराजीयात आधार खसरा संख्या 8243/2462 रकबा 0.08 से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर वादी को काबिज किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न नही करने तथा पश्चातवर्ती अतिकमण नही करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 को मौके से बेदखल कर वादी को काबिज करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी,
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

गोपाल बनाम रतन

दावा बाबत :– 88, 188, 183 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 110/2019
पेश करने की दिनांक – 12.09.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद "**स्वीकार**" किया जाकर ग्राम देराटू स्थित आराजीयात आधार खसरा संख्या 8243/2462 रकबा 0.08 से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर वादी को काबिज किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न नही करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 को मौके से बेदखल कर वादी को काबिज करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 8 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद